फर्जीवाड़ा | जीएनएस फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड का बड़ा फर्जीवाड़ा

400 करोड़ की ठगी, कोयलांचल के निवासियों को बनाया शिकार

प्रदीप शर्मा

नवभारत, धनपुरी/ बुढार। निवेश के नाम पर आम आदमियों से करोड़ों रूपए की ठगी करने वाले जीएनएस फाइनेंसियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कर्ताधर्ता पर कार्रवाई में बुढ़ार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद एसपी संजय कुमार अग्रवाल ने सटीक विवेचना और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की है और बुढार थाना प्रभारी को स्वच्छ और निष्पक्ष जांच करने के लिए निर्देशित किया है मंगलवार को लंबित अपराधों की समीक्षा के दौरान एसपी ने पाया कि बुढ़ार थाने में मृगनयन सिंह पिता मोहन सिंह निवासी गोपालपुर करकटी द्वारा 19 मई को शिकायत दर्ज करवाई थी।

कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने लिया था संज्ञान

कोयलांचल में सेवानिवृत्ति के बाद कॉलरी कर्मियों को कम समय में ज्यादा लाभ का लालच देकर ठगी करने वाले ऐसे गिरोह पर कार्रवाई को लेकर शहडोल कमिश्नर सुरभि

गुप्ता पूर्व में ही निर्देश दे चुकी हैं। कमिश्नर के निर्देश पर ही बुढ़ार पुलिस ने जांच प्रारंभ की थी लेकिन बुढार पुलिस की जांच और थाना प्रभारी की निष्क्रियता से जांच में लगातार देरी हो रही थी और कई प्रकार की शिकायतें भी आ रही थी बुढार पुलिस के द्वारा संभागायुक्त के निर्देशों पर महज खानापूर्ति की कार्यवाही की गई और आरोपियों के खिलाफ कोई विशेष कार्यवाही सुनिश्चित नही की गई जिसके फलस्वरूप आरोपी फरार होने मे सफल हुए जिससे बुढ़ार पुलिस की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जो अब जिले मे चर्चा का विषय बन गया।

नवागत पुलिस अधीक्षक का स्पष्ट संदेश

आरोपियों की गिरफ्तारी और न्यायालय से सजा दिलाने के लिए एसपी ने साक्ष्य संकलन, वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच, तकनीकी विश्लेषण और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सुझाव दिए हैं।

थाना प्रभारी और बुढार पुलिस फिर भी नहीं जगी!

इस पूरे मामले में बुढार थाना प्रभारी विनय सिंह गहरवार की भूमिका बेहद असंवेदनशील रही 400 करोड़ रुपयों की ठगी के संवेदनशील और आमजन से जुड़े इस मामले को बुढार थाना प्रभारी ने बड़े ही हल्के में लिया और पीड़ितों की मदद करने की बजाय तकनीकी साक्ष्य और कॉल डिटेल्स की जांच करने की बजाय साथ ही ठगों को क्षेत्र के किस बुद्धिजीवी कलमकार तथाकथित पत्रकार या फिर सफेदपोशों ने संरक्षण दिया इसकी बारीकी से जांच ना कर मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य 'देश भक्ति जनसेवा' की परिभाषा को धूमिल किया है शहडोल के नवागत पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने इस मामले में एसआईटी गठित तो जरूर की है किंतु गुनहगारों के मददगारों तक भी पुलिस कफ्तान को पहुंचना होगा जिन्होंने अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हुए लोगों की गाढ़ी कमाई पर जीएनएस फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड के साथ मोनोपोली की है ऐसे लोगों और समाज के अवांछनीय तत्वों पर भी कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए जीएनएस फाइनेंसियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के आरोपियों द्वारा अधिक लाभ का प्रलोभन देकर निवेश कराया गया तथा ग्राहकों की अनुमति के बिना उनके डिमैट खातों में ट्रेडिंग कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। जो अति संवेदनशील बात यह है ,इस मामले में बुढ़ार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में दो माह लग गए। और 20 जुलाई को आरोपी सुखनंदन यादव, मुकेश यादव, सरोज यादव, विजय यादव, मोहम्मद अमीन के विरूद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचनाशुरू की है। अब देखते हैं बुढार पुलिस की कार्यशैली सुधरती है या बुढार थाना प्रभारी की इस मामले में संदिग्धता और बढ़ती है ।

> **सवाल आरोपियों को भागने का मौका क्यों दिया गया**
>
> फाइनेंस कंपनी के नाम करोड़ों रूपए की ठगी करने वाले कंपनी के आरोपी कई दिनों से फरार हैं और कार्यालय में ताला लगा है। ऐसे में पीड़ितों का कहना है कि पुलिस आखिर आरोपियों को भागने का मौका ही क्यों दी। कार्यालय बंद है तो उनके करोड़ों रूपए निवेश का क्या होगा। पीड़ितों को उनके पैसे कैसे मिलेंगे।

सचिव की चरहेट पंचायत में पदस्थापना निरस्त करने की मांग

▶ 16 जून के मूल स्थानांतरण आदेश के अनुसार भर्री पंचायत भेजने की उठाईमांग

नवभारत,जयसिंहनगर। जनपद पंचायत जयसिंहनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत चरहेट के ग्रामीणों ने पंचायत सचिव शैलेंद्र तिवारी की पदस्थापना निरस्त कर जिला पंचायत शहडोल द्वारा 16 जून 2026 को जारी मूल स्थानांतरण आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत भर्री में पदस्थ किए जाने की मांग की है। इस संबंध में समस्त ग्रामवासियों की ओर से संबंधित अधिकारियों को आवेदन सौंपकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि जिला पंचायत शहडोल द्वारा 16 जून को जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार पंचायत सचिव शैलेंद्र तिवारी का स्थानांतरण ग्राम पंचायत भर्री किया गया था। हालांकि, बाद में जारी एक अन्य आदेश के माध्यम से उन्हें ग्राम पंचायत चरहेट में पदस्थ कर दिया गया। ग्रामीणों ने इस निर्णय पर असंतोष जताते हुए कहा है कि मूल स्थानांतरण आदेश के अनुसार उन्हें भर्री पंचायत में ही पदस्थ किया जाना चाहिए।आवेदन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सचिव पूर्व में जिस ग्राम पंचायत में पदस्थ थे, वहां पंचायत कार्यालय में नियमित उपस्थिति को लेकर भी ग्रामीणों में असंतोष था। उनका कहना है कि पंचायत से संबंधित कार्यों के लिए आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ समय पूर्व उन्हें ग्राम पंचायत मुदरिया टोला का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन वहां भी ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध किए जाने की बात सामने आई थी। ग्रामीणों ने आवेदन में सचिव की कार्यशैली को लेकर विभिन्न आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि उन्हें चरहेट पंचायत में पदस्थ रखा जाता है तो पंचायत के प्रशासनिक कार्यों, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और आम नागरिकों से जुड़े कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, आवेदन में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की है कि जनहित और प्रशासनिक निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत चरहेट में की गई पदस्थापना पर पुनर्विचार किया जाए तथा 16 जून 2026 को जारी मूल स्थानांतरण आदेश के अनुसार सचिव को ग्राम पंचायत भर्री में पदस्थ किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष निर्णय होने से पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता और आमजन का प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत होगा।

एक नजर में

इंजीनियरिंग कॉलेज में किया गया पौधरोपण

नवभारत,शहडोल । यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफटेक्नोलॉजी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शहडोल एक पेड़ मॉ के नाम अभियान के तहत परिसर में संस्था निदेशक डॉ. पंकज जैन सहित शिक्षक एवं नवप्रवेशित विद्यार्थियो ने पौधरोपण कर पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में अपना योगदान दिया एवं पौधे को सुरक्षित करने का संकल्प भी लिया।

आरके अर्थ रिसोर्सेज माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड फिर सुर्खियों में

नवभारत धनपुरी। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत शारदा ओपन कास्ट माइंस में ओवर बर्डन एवं कोयले के सफल निस्पादन उत्खनन में कार्यरत निजी कम्पनी आरके अर्थ रिसोर्सेज पुन: सुर्खियों में हैं मामला है गरीब व्यक्ति के टैंकर का भुगतान ठेकेदार आदिल खान द्वारा ना किया जाना ठेकदर आदिल खान जो को धनपुरी 3 नंबर उसलापुर का निवासी है उसके खिलाफ पंडित लाल जी तिवारी प्रभात तिवारी रूपम प्रजापति शिब्बू शर्मा ने अमलाई थाने में लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है की आदिल खान नामक व्यक्ति जो की आरके अर्थ रिसोर्सेज माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में ठेकेदार केडी रूप में कार्य करता है उसने मुझसे मेरा टैंकर लिया जिसका और अपनी जिम्मेदारी पर मेरे पानी के टैंकर को जनवरी से लेकर अप्रैल को कंपनी में कार्य में लगाया लेकिन जब मेरे द्वारा ठेकेदार आदिल खान से अपने पानी के टैंकर के भुगतान शर्त अनुरूप करने को कहा तो उसने गोल मोल जवाब देना शुरू कर दिया बाद में उसने टैंकर के भाड़े का 4 माह में बनी राशि 60000 का भुगतान ना कर सिर्फ 27000 रुपए पीड़ित लाल जी तिवारी को दिए और बाकी के 43000 आज दिनांक नही दिया गया पीड़ित तिवारी ने काफी परेशान होने के बाद अमलाई थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और कंपनी प्रबंधन को भी पत्र सौंपा है की जल्द से जल्द उसे उसके टैंकर की राशि का भुगतान करवाए जाने में उसकी मदद की जाए और आदिल खान नामक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए पीड़ित ने चेताया है की अगर मुझे मेरे बाकी रुपयों का शेष भुगतान नहीं किया गया तो मैं अनशन में बैठूंगा।

हत्या की खबर मिलते ही एक्शन में पुलिस अधीक्षक

▶ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन तलाश

नवभारत,शहडोल। थाना सीधी क्षेत्रांतर्गत ग्राम चंदौरा में 23 जुलाई 2026 को एक युवक की हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक शहडोल डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना की जानकारी ली। एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेते हुए पुलिस अधिकारियों से प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने और आरोपियों तक पहुंचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी सीधी निरीक्षक सेवेंद्र राम भगत सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के पालन में थाना सीधी पुलिस द्वारा मामले में सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन तलाश अभियान शुरू कर दिया है।पुलिस द्वारा घटना के कारणों और वारदात में शामिल आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

खबर के बाद जागा कृषि विभाग, अमानक बीज पर कार्रवाई

▶ हिंदुस्तान सीड्स सप्लाई कंपनी का बीज अमानक मिला, लाइसेंस निलंबित

नवभारत,शहडोल। जिले में अमानक खाद-बीज की बिक्री को लेकर लगातार उठ रहे सवालों और किसानों की शिकायतों के बीच अब कृषि विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलेभर में बीज विक्रय दुकानों के निरीक्षण का सिलसिला शुरू किया गया है। निरीक्षण के दौरान बीज के नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। इसी कार्रवाई में हिंदुस्तान सीड्स सप्लाई कंपनी, शहडोल का बीज नमूना अमानक पाए जाने पर संबंधित विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अनुसार बीज परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में संबंधित बीज का नमूना निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण और नमूना परीक्षण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी तथा अमानक बीज बेचने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

> **दबी जुबान में दुकानदार लगा रहे वसूली के आरोप**
>
> वहीं, कृषि विभाग की कार्रवाई के बीच कुछ बीज विक्रेता दबी जुबान में विभागीय अधिकारियों पर जांच के नाम पर कथित वसूली किए जाने के आरोप भी लगा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि निरीक्षण और जांच की प्रक्रिया को लेकर उनसे कथित रूप से आर्थिक मांग की जाती है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और किसी दुकानदार ने सार्वजनिक रूप से सामने आकर लिखित शिकायत भी नहीं की है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि यदि विभाग द्वारा नियमित रूप से बीज दुकानों की जांच की जा रही थी तो अमानक बीज का कारोबार पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या जिले में सभी बीज विक्रेताओं के यहां समान रूप से जांच हो रही है या फिर कार्रवाई चुनिंदा दुकानों तक ही सीमित है। विभाग को चाहिए कि निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए और यदि किसी अधिकारी पर वसूली के आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनकी भी निष्पक्ष जांच कराए। किसानों के हित में जरूरी है कि अमानक बीज की बिक्री पर सख्ती के साथ रोक लगे, लेकिन साथ ही कृषि विभाग की जांच प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी हो।

एसडीएम न्यायालय की स्थायी पदस्थापना को लेकर अधिवक्ताओं का स्वर बुलंद

▶ जन-आकांक्षाओं के सजग आवाज बने जयकांत

नवभारत,बुढ़ार। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल संविधान के पन्नों में नहीं, बल्कि उस व्यवस्था में चरिथार्थ होती है जहाँ आम नागरिक को समय पर, सरल, सुलभ और निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो। जब न्यायिक व्यवस्थाएँ जनअपेक्षाओं के अनुरूप सुदृढ़ होती हैं, तभी लोकतंत्र का आधार और अधिक मजबूत बनता है। इसी जनभावना को स्वर देते हुए अभिभाषक संघ बुढ़ार के अध्यक्ष अधिवक्ता जयकांत मिश्र ने एक बार फिर स्वयं को जन-आकांक्षाओं का सच्चा प्रहरी सिद्ध किया है। उनके नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने बुढ़ार में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय (एसडीएम कोर्ट) की नियमित एवं स्थायी पदस्थापना की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन सौंपने के दौरान न्यायालय परिसर में अभूतपूर्व एकजुटता का वातावरण देखने को मिला। बड़ी संख्या में उपस्थित अधिवक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बुढ़ार अंचल की जनता को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। न्यायिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता न केवल आम नागरिकों के अधिकारों का हनन है, बल्कि संविधान की मूल भावना के भी प्रतिकूल है। अभिभाषक संघ अध्यक्ष जयकांत मिश्र ने कहा कि वर्ष 2013 में बुढ़ार को तहसील का दर्जा मिलने के बाद क्षेत्रवासियों में यह विश्वास जागा था कि अब उन्हें राजस्व एवं न्यायिक मामलों के लिए दूर-दराज़ नहीं भटकना पड़ेगा। वर्षों तक अधिवक्ताओं के सतत प्रयास, जनप्रतिनिधियों की पहल और जनभावनाओं के दबाव के परिणामस्वरूप जून 2026 में बुढ़ार में एसडीएम न्यायालय का शुभारंभ हुआ।

संसद में लालपुर हवाई अड्डे का मुद्दा सांसद उठाएंगी

▶ केंद्र सरकार से तकनीकी सर्वेक्षण और विकास योजना पर मांगा जाएगा जवाब

नवभारत,शहडोल। शहडोल संसदीय क्षेत्र के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण माने जा रहे लालपुर हवाई पट्टी को पूर्ण हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने का मुद्दा अब संसद के मानसून सत्र में गूंजने जा रहा है। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह लोकसभा में नगर विमानन मंत्रालय से लालपुर हवाई पट्टी के विस्तार एवं उसे पूर्ण विमान पत्तन के रूप में विकसित करने को लेकर सरकार से सवाल पूछेंगी। सांसद द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या भारत सरकार की मध्यप्रदेश के शहडोल संसदीय क्षेत्र स्थित लालपुर हवाई पट्टी को पूर्ण हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की कोई योजना है और क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई आधिकारिक तकनीकी सर्वेक्षण कराया गया है।

> **औद्योगिक, व्यापारिक, पर्यटन विकास के लिए जरूरी**
>
> लालपुर हवाई पट्टी को पूर्ण हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की मांग शहडोल जिले के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। पूर्व में भी इस मुद्दे को लेकर लगातार मांग उठती रही है। शहडोल संभाग के औद्योगिक, खनिज, व्यापारिक, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व को देखते हुए क्षेत्रवासियों द्वारा लंबे समय से नियमित हवाई सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता जताई जाती रही है। वर्तमान में बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए लोगों को लंबी सड़क अथवा रेल यात्रा करनी पड़ती है, जिससे समय और संसाधन दोनों की अतिरिक्त खपत होती है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैक के सीईओ निलंबित

नवभारत,शहडोल । जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ संतोष कुमार यादव, गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। राज्य सहकारी बैंक की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि अधिवक्ता कुणाल ठाकुर की शिकायत के आधार पर गठित दो सदस्यीय जांच दल की अंतरिम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबन का निर्णय लिया गया है।

प्रारंभिक जांच में धान उपार्जन वर्ष 2023-24 के खरीदी व्यय में शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि दर्शाने, फील्ड कर्मचारियों से निजी बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित कराने तथा जिला बैंक के नवनियुक्त समिति प्रबंधकों से कथित रूप से राशि अपने खाते में ट्रांसफर कराने जैसे आरोप दर्ज किए गए हैं। इन मामलों को गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा गया है। इधर, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) रीवा भी संतोष कुमार यादव के विरुद्ध वित्तीय गड़बड़ी, पद के दुरुपयोग, कथित आपराधिक कदाचार और अवैध वसूली से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है। जांच एजेंसी ने 11 बिंदुओं पर संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। इनमें सोसाइटी प्रबंधकों से कथित अवैध वसूली, नौरोजाबाद शाखा में गबन, बुढ़ार और केशवाही समितियों में वित्तीय अनियमितताओं सहित राजेंद्रग्राम से जुड़े मामलों के अभिलेख शामिल हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस ने विद्यालय में चलाया नशा मुक्ति जनजागरूकता अभियान

▶ जनसहयोग से ही सफल होगा नशे के खिलाफ अभियान: एसडीओपी

नवभारत धनपुरी /बंगवार। जिलेभर में चल रहे नशा मुक्ति जनजागरूकता अभियान को लोगों का लगातार व्यापक समर्थन मिल रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं एवं आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया जा रहा है। इसी कड़ी में धनपुरी पुलिस द्वारा सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बंगवार-बेमहौरी में नशा मुक्ति जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान की जानकारी देना तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए जनभागीदारी बढ़ाना था।

कार्यक्रम में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) विकास पांडे, नगर निरीक्षक (टीआई) खेम सिंह, सहायक उपनिरीक्षक भूपेंद्र सिंह, थाना स्टाफ, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाकर की गई। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें नशे के दुष्परिणामों और उससे बचने के उपायों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर एसडीओपी विकास पांडे ने कहा कि जिले में चल रहे नशा मुक्ति अभियान को आम जनता का लगातार सहयोग और समर्थन मिल रहा है।

गंदगी | नगर का ऐसा कोई कोना नहीं जहां न हो कचरे का अंबार

होटल में बैठकर सीखा वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन का पाठ, जमीनी हकीकत कुछ और

नवभारत,शहडोल। शहर में कचरा प्रबंधन की जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। शहर का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो, जहां खुले में कचरे के ढेर, सड़कों के किनारे फैली गंदगी और नालियों में जमा कचरा नजर न आता हो। ऐसे समय में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के प्रायोजन तथा फीडबैक फाउंडेशन, हरियाणा के तत्वाधान में एक निजी होटल में शहडोल संभाग के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए क्षमता वर्धन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कचरा प्रबंधन के आधुनिक तौर-तरीकों और नियमों की जानकारी तो दी गई, लेकिन सवाल यह है कि जब शहर की गलियों में ही कचरा प्रबंधन की व्यवस्था दम तोड़ रही है, तब महंगे होटल में बैठकर बनाए जा रहे ये तमाम दावे जमीन पर कब दिखाई देंगे?

कार्यशाला में संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। संभागायुक्त सुरभि गुप्ता, कलेक्टर डॉ. केदार सिंह और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम प्रजापति सहित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंच से स्वच्छ एवं वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन को समय की आवश्यकता बताते हुए जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और नागरिकों की संयुक्त भागीदारी पर जोर दिया गया।

कार्यशाला में पढ़ाया नियमों का पाठ

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का कड़ाई से पालन, नागरिक सहभागिता और जनजागरूकता बढ़ाने पर कार्यशाला में जोर दिया गया। सवाल यह है कि यदि नियमों का पालन वास्तव में हो रहा है तो शहर के अनेक हिस्सों में खुले में कचरा क्यों दिखाई दे रहा है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कभी कार्यशाला से बाहर निकलकर शहर के उन इलाकों का निरीक्षण किया, जहां कचरा कई-कई दिनों तक पड़ा रहता है?कार्यशाला में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए तथा विशेषज्ञों से व्यावहारिक समस्याओं के समाधान भी प्राप्त किए। लेकिन आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि समाधान की जानकारी मिलने के बाद अब उसका क्रियान्वयन कब होगा? क्योंकि कागजों और वातानुकूलित सभागारों में कचरा प्रबंधन की योजनाएं चाहे जितनी प्रभावी दिखाई दें, शहर की सड़कों और मोहल्लों में फैली गंदगी उन दावों की पोल खोलती नजर आती है। शहडोल संभाग के विभिन्न नगरीय निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और अधिकारी-कर्मचारी कार्यशाला में शामिल हुए। अंत में स्वच्छ, सतत और पर्यावरण-अनुकूल नगरीय विकास के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प भी लिया गया। अब देखना यह है कि यह संकल्प होटल की चारदीवारी तक सीमित रहता है या वास्तव में शहर की गलियों में दिखाई देता है। जनता को कार्यशालाओं से ज्यादा जरूरत अब जमीन पर साफ-सफाई, नियमित कचरा उठाव और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन की है।

> **शहर की गलियों में आज भी नहीं दिखता असर**
>
> विशेषज्ञों ने स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियंत्रण, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। लेकिन शहर की वास्तविक तस्वीर इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आती है। कई स्थानों पर कचरा नियमित रूप से नहीं उठने की शिकायतें सामने आती हैं। सड़कों के किनारे और खाली प्लॉटों में कचरा फेंका जाना आम बात हो गई है। कचरा संग्रहण वाहनों की नियमितता और कचरे के पृथक्करण को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

एरिया के दर्जनों कर्मचारियों का विभिन्न क्षेत्रों में तबादला

▶ दीपिका, कुसमुंडा, गेवरा और कोरबा एरिया भेजे गए कर्मचारी

नवभारत, धनपुरी। दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) मुख्यालय, बिलासपुर ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए सोहागपुर एरिया के विभिन्न भूमिगत एवं खुली कोयला खदानों में कार्यरत बड़ी संख्या में कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया है। मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन कर्मचारियों को दीपिका, कुसमुंडा, गेवरा तथा कोरबा एरिया में पदस्थ किया गया है। एसईसीएल के भीतर इसे हाल के वर्षों का एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है।

जारी आदेश के अनुसार स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों में राम निरंजन सिंह, राकेश कुमार मिश्रा, विजय कोल, समरजीत, अनूप कुमार पांडेय, महेंद्र सिंह, महेंद्र कुमार शुक्ला, विवेक कुमार राय, रामचरण, नफीस खान, मनीष कुमार पटेल, उपेंद्र सिंह, दीपचंद्र पटेल, मोहम्मद साबिर, अरुण कुमार मिश्रा, नागेश राय, गया प्रसाद केवट, सुभाष कुमार पांडेय, जयप्रकाश पटेल, ठाकुर प्रसाद, रामकुमार प्रजापति, बालकृष्ण, राम कुमार सिंह, राकेश कुमार, दिलीप कुमार दास, कोदूलाल, कमल पाल, एस.के. हुसैन, कुलदीप सिंह, लखन प्रसाद, श्यामलाल सिंह, बैजनाथ गुप्ता, सुभाष चौहान, लाल बहादुर जायसवाल, कृष्ण कुमार पाल, श्याम मणि पांडेय, अशोक कुमार, जयराज सिंह, मृगेंद्र कुमार गौतम, राजू, महेश सिंह, सुरेश चंद्र महोबिया, अनूप कुमार पाठक, रफीक, चिंतामणि पटेल, प्रभुनाथ पांडेय, अनिल कुमार सिंह, अब्दुल अज़ीज़, अफसर अली, पुरुषोत्तम लाल विश्वकर्मा, सुब्रत चक्रवर्ती, जुल्फिकार अली, नरेंद्र कुमार गौतम, सरवन सिंह, निलेश कुमार पटेल, धीरेंद्र कुमार पांडेय, श्यामलाल पाल, अनूप कुमार मिश्रा, राजेश कुमार भार्गव, किरण कुमार घोष, मनीष कुमार गुप्ता, ओमप्रकाश मिश्रा, मोहम्मद इलियास खान, राकेश कुमार मिश्रा, मुकेश कुमार सिंह, आबाद खान, प्रशांत कुमार, महेंद्र कुमार सिंह, कमलेश्वर सिंह तथा सुनील कुमार जोशी सहित अनेक कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। मुख्यालय ने अपने आदेश में सोहागपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक को निर्देशित किया है कि स्थानांतरित सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए, ताकि वे बिना विलंब अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर सकें। साथ ही संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्थानांतरण वाले क्षेत्र के महाप्रबंधक के समक्ष कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन, सीएमपीएफ नंबर, एनईआईएस नंबर, जन्मतिथि तथा पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। इसलिए इसे प्रशासनिक स्थानांतरण माना जाएगा तथा एसईसीएल के प्रचलित सेवा नियमों एवं विनियमों के अनुसार सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।